

राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन हेतु नामित नोडल अधिकारी/अधिशाली अभियंता, अभाव खण्ड उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर द्वारा जनपद-मीरजापुर में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत जनपद-मीरजापुर की सतही श्रोत आधारित लेडुकी ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित ई०एस०आर० एवं सी०डब्लू०आर० टैंक का निर्माण तथा विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु क्षेत्रफल 3.1219 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव ।

प्रस्तावक विभाग -

राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन
हेतु नामित नोडल अधिकारी/
अधिशाली अभियंता, अभाव खण्ड
उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर

प्रस्तावित स्थल-

मडिहान, पटेहरा एवं लालगंज रेंज

तहसील-

मडिहान

जनपद-

मीरजापुर

प्रभावित वन भूमि का क्षेत्र-

3.1219 हे० (आरक्षित वन भूमि)

वन प्रभाग-

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

क्र.सं.	कार्य विवरण	पृ.सं.
1	अनावरण पृष्ठ	
2	अनुक्रमणिका	
3	राज्य सरकारों तथा प्राधिकारियों द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत पूरा अनुमति लेने का फार्म भाग 1,2,3,4,5	
4	परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि का Geo Referenced Digital Map kml shp फाइल एवं सी0डी0 सहित।	
5	1:50,000 माप का रंगीन मानचित्र जिसमें परियोजना क्षेत्र के आस-पास वन क्षेत्र का सीमांकन वन ब्लॉक कम्पार्टमेंट्स वार दर्शाते वैकल्पिक संरक्षण इण्डेक्स एवं शीर्षक सहित।	
6	प्रस्तावक विभाग एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र जिसमें परियोजना में दर्शाई भूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा आवेदित वन भूमि की मात्रा न्यूनता है।	
7	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तिथि व हस्ताक्षरकर्ता का नाम सहित।	
8	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि बदले अवन्त वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों का अनुरक्षण वृक्षारोपण हेतु सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन।	
9	प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शेड्यूल।	
10	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश।	
11	प्रस्तावित परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का अंतिम जस्टिफिकेशन नोट, प्रस्तावक विभाग का प्रमाण-पत्र।	
12	पार्षण लाइन से प्रभावित होने वाले वृक्षों का वैज्ञानिक नाम प्रजातिवार, व्यासवार मूल्य सहित गणना रिपोर्ट।	
13	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लान्वित होने वाले ग्रामीण परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण।	
14	वन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा लगायी गयी नानक शर्तों के मान्य होने का प्रस्तावक विभाग का प्रमाण-पत्र।	
15	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय बहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/वचन बद्धता।	
16	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र।	
17	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map, kml shp फाइल एवं सी0डी0 सहित।	
18	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50,000 माप का रंगीन मानचित्र।	
19	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा किये जाने की प्रस्तावक विभाग की वचन बद्धता।	
20	प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) संशोधन के उपरांत बड़ी हुई (एन0पी0वी0) की गणना के भुगतान की वचनबद्धता।	
21	Eco Class के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।	
22	वन्य स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।	
23	वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जप जिला स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति तथा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तिथि, मुहर एवं हस्ताक्षरकर्ता के नाम सहित।	
24	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चिन्हित व प्रमाणित प्रति।	
25	परियोजना से 10किमी की परिक्रम में कोई सेन्सुरी/वन्य जीव बिहार होने अथवा न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र।	
26	मलया उत्सर्जन के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित Reclamation Plan।	
27	तेर वन भूमि पर किये जाने वाले मलया निस्तारण के लिए वन भूमि का सहमति पत्र।	
28	वैकल्पिक भूमि न उपलब्ध होने का प्रस्तावक विभाग का प्रमाण-पत्र	
29	कार्य प्रारम्भ न करने की वचन बद्धता प्रमाण पत्र	
30	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक- 343/11सी,दिनांक 14.08.2020 के अनुपालन में प्रमाण पत्र	
31	पावर ऑफ एटार्नी	
32	प्रिमियम एवं लीज रेंट भुगतान किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र	
33	वैकल्पिक संरक्षण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र	

(ବିଶିଷ୍ଟ ନିୟମ ୫)

भाग-1

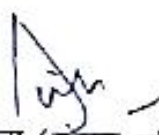
(प्रयोगता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परिचोजना विवरण - (i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परिचोजना/रखीम वन सांकेतिक विवरण-	राज्य के जल एवं स्वच्छता मिशन हेतु जनपद-मीरजापुर में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत जनपद-मीरजापुर की रातही श्रोत आधारित अनुकी काम समूह केमजत योजना हेतु प्रस्तावित ई0एस0आर0 एवं सी0डब्लू0आर0 टैंक का निर्माण तथा विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतः इस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निम्न योजनाओं के अनु. 1 की आवश्यकता है - 1- ई0एस0आर0 एवं सी0डब्लू0आर0 टैंक का निर्माण तथा विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से सम्बंधित 3 1219 हे0 अपेक्षित वन भूमि के बिना एवं जनपद की वन दफ्तरी भूमि में अनुमति। अ- बंसीगैरी की सीमा का निर्धारण चलाने है।
(ii) 1,50,000 स्क्वैर मीटर वन भूमि और अन्य जंगल-घर आदि की योजना का चरणी - 11 मी	गु: 24019/22 नवीन रूप से जारी
(iii) परिचोजना की लागत	परिचोजना का काम से सम्बंधित नहीं है वन सांकेतिक दस्तावेजों की योजना है - इस हेतु ऐसे ग्रामों में जिनमें वन भूमि की कमी के कारण वन आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वन भूमि की शर्त में निजामतद्वारा हेतु विभिन्न ग्रामों में निजामतद्वारा पेयजल योजना प्रस्तावित है इससे वन भूमि की आवश्यकता हेतु वन कोई प्रेरणा नहीं है।
(iv) लागत तथा परिचोजना चलाने किए जाने के लिए	आवश्यकता है।
(v) संलग्नता दिनांक पत्र होने कि सम्बन्धित है	प्रस्तावित परिचोजना में लगभग 80,000 मनुष्य दिवस संलग्नता का अनुमान किया गया लगभग 36 व्यक्तियों के साथ संलग्नता की सम्बन्धता है
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण -	ई0एस0आर0 एवं सी0डब्लू0आर0 टैंक का निर्माण तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल 3 1219 हे0 अपेक्षित वन भूमि अपेक्षित है निम्नलिखित विवरण निम्नवत् है - 1- ई0एस0आर0 एवं सी0डब्लू0आर0 टैंक का निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि = 0.3000 ha. 2-पाइप लाइन बिछाने हेतु = 2.8219 ha.

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है (i) परिवारों की संख्या - (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए) -	परियोजना के कारण किसी को हटाने का प्रस्ताव नहीं है। लागू नहीं। लागू नहीं। लागू नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत- नजारी आवश्यक है? (हां/नहीं)	नहीं
5. क्षतिपूर्त वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण, दण्डस्वरूप क्षतिपूर्त वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)-	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का व्यौरा -	- मानचित्र (1:50,000 स्केल मैप पर) - लाभान्वित होने वाले, ग्रामी, परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण। - मानक शर्तें - क्षतिपूर्त वृक्षारोपण पर व्यय सहन वचनबद्धता। - एन0पी0वी0 मूल्य जमा करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र। - अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र। - योजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति - कार्य प्रारम्भ न करने की वचनबद्धता - डिजिटल मैप - मलवा उत्सर्जन सम्बन्धित प्रमाण पत्र। - अनाधिकार के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

तिथि

स्थान


 अधिशासी अभियंता/नॉडल अधिकारी
 राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन,
 अभाव खण्ड उ0प्र0 नित सिंह, मीरजापुर
 अधिशासी अभियंता
 अभाव खण्ड, उ0प्र0 नित सिंह